Reply of RTI by Mohan Swaroop Dubey

S.No.	Information Sought	Reply
1	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड के सभी बोर्ड एवं डायरेक्टर के नाम एवं स्थायी पता एवं मोबाइल नं. सहित पूर्ण जानकारी	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड के सभी बोर्ड एवं डायरेक्टर के नाम एवं स्थायी पता एवं मोबाइल नं. की पूर्ण जानकारी PESM डिपार्टमेंट द्वारा उचित समझने पर उपलब्ध करा सकता हैं|
2	पावरग्रिड कोरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा सतना जिले के सम्पूर्ण किसानों की भूमि से गुजारी गई लाइन के सतिमा सहित संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराया जावे	सतना जिले से गुजरने वाली पुरानी लाइनों की जानकारी सतना ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती हैं | सतना जिले की पुरानी लाइनों की कोई जानकारी PJTL ऑफिस मे उपलब्ध नहीं हैं |
3	पावरग्रिड कोरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा सतना जिले में सभी लाइनों के पारेषण के दौरान प्रभावित मकान कुआं बोर गोशाला की जानकारी उपलब्ध करवाई जाये | इस सन्दर्भ में किसानों को दिए गये मुआवजे आंकलन की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाईं जाए |	सभी लाइनों में प्रभावित मकानों कुआं बोर गोशाला की जानकारी सतना ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती हैं | सतना जिले की पुरानी लाइनों की कोई जानकारी PJTL ऑफिस मे उपलब्ध नहीं हैं |
4	जबलपुर से विंध्यांचल ले जाई जा रही ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग लाईजा रही कृषि भूमि प्राइम लैंड रिमोड लैंड के बारे में जिला कलेक्टर द्वारा तय किये रेटों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाई जाये |	जबलपुर से विंध्यांचल ले जाई जा रही ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग लाई जा रही कृषि भूमि का मुआवजा राजस्व बिभाग के मूल्यांकन एवं सत्यापन के आधार पर दिया जाता हैं| तय किए गए रेट की जानकारी कलेक्टर कार्यालय से ली जा सकती हैं | पावरग्रिड द्वारा तहसीलों से सत्यापित प्रति मिलने पर भुगतान किया जाता हैं |

हेमराज मीना/HEMRAJ MEENA
उप प्रबंधक (टी.एल.सी)/DY. MANAGER (TLC)
पावरग्रिड, जबलपुर/POWERGRID, JABALPUR

Scanned by CamScanner

5	विंध्यांचल पूलिंग V निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा जिला कलेक्टर के पास जमा करवाये गए कंपनी के संपूर्ण दस्तावेज जिनमे बेबी एसन फीम, रूट एलाइनमेंट मैप प्रभावित मकान की सूची MOU की कापीट्रायर सर्वे रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध करवाई जाए|	विंध्यांचल पूलिंग V निर्माण करने वाली कंपनी को ट्रान्समिशन लाइन निर्माण करने का अधिकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 68 के तहत भारत सरकार द्वारा प्राप्त हैं| (प्रति संलग्न)
6	उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन द्वारा सतना जिले के विभिन्न प्रभावित पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र कि सत्यापित छाया प्रति|	ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हैं ना ही सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई गाइडलाइन हैं |
7	सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन व प्रभावित गांव की सत्यापित छाया प्रति |	सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन व प्रभावित गांव की सत्यापित छाया प्रति संलग्न हैं |
8	उपरोक्त ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा लाइन निर्माण से पहले तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तय किये गये मुआवजे को निर्धारित करने के लिए बनाई गई समिती व उनमें शामिल सदस्यों की जानकारी इसके साथ मुआवजा निर्धारण करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाये|	मुआवजा निर्धारण के लिए कोई समिति का गठन नहीं किया गया हैं | पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान पावरग्रिड द्वारा क्षतिपूर्ति क्षेत्रफल का नोटिस बनाया जाता हैं जिसको मूल्यांकन एवं सत्यापन के लिए तहसील कार्यालय में जमा किया जाता हैं | मूल्यांकित एवं सत्यापित प्रति मिलने पर रुपये का भुगतान ONLINE प्रभावित किसान को कर दिया जाता हैं |
9	उपरोक्त ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के स्थायी पता कार्यालय का पता तथा कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों की सूची मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध करवाई जाए |	ट्रांसमिशन लाइन में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी एवं मोबाइल नं. PESM डिपार्टमेंट द्वारा उचित समझने पर उपलब्ध करा सकता हैं|

हेमराज मीना/HEMRAJ MEENA
उप प्रबंधक (टी.एल.सी)/DY. MANAGER (TLC)
पावरग्रिड, जबलपुर/POWERGRID, JABALPUR

Scanned by CamScanner